



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-686

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 304206 दिनांक 19/06/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	Girdhar Gopal Gaur S/o Brij Lal Gaur	श्री बृजलाल गौड़ पुत्र श्री किशन लाल	30	173.33 SQ. YARD	Cooperative	VIDHA NAGAR Sector/Block- B	Name Transfer	आवेदक श्री गिरधर गोपाल गौड़ पुत्र श्री बृजलाल गौड़ द्वारा श्री छत्रपति गृ.नि.स.स. की योजना विद्या नगर के भूखण्ड संख्या बी-30 क्षेत्रफल 173.33 व.ग. के नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड संख्या बी-30 क्षेत्रफल 173.33 व.ग. की लीजडीड दिनांक 14.01.2016 को श्री बृजलाल गौड़ पुत्र श्री किशन लाल के पक्ष में जारी की गई है। उक्त भूखण्ड संख्या बी-30 को श्री बृजलाल गौड़ पुत्र श्री किशन लाल द्वारा जरिये पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 03.06.2015 को अपने पुत्र श्री गिरधर गोपाल गौड़ पुत्र श्री बृजलाल गौड़ को वसीयत किया गया। दिनांक 29.10.2023 को श्री बृजलाल गौड़ पुत्र श्री किशन लाल की मृत्यु हो गई है।
---	---	--	----	--------------------	-------------	--------------------------------------	------------------	--



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Girdhar Gopal Gaur S/o Brij Lal Gaur को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।